एन. के. सोधी, न्यायधीश, के समक्ष

कृष्ण लाल,-याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ,-उत्तरदाता

सी. आर. सं. 556 सन *1981*

28 अक्टूबर, 1998

मध्यस्थता अधिनियम, *1940*-न्यायिक कदाचार-मध्यस्थ अर्ध न्यायिक कार्य करता है और उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए-पक्षों को दावे/जवाब दायर करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अवसर देना चाहिए-मध्यस्थ ने ठेकेदार को साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी-प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया-प्रतिबद्ध न्यायिक कदाचार।

अभिनिर्धारित किया गया कि एक मध्यस्थ जो अर्ध-न्यायिक कार्य करता है, उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और उसे अपने समक्ष जांच का प्रहसन नहीं बनाना चाहिए।उसे पक्षकारों को अपने दावे/जवाब, यदि कोई हों, दाखिल करने का पूरा अवसर देना चाहिए और उन्हें अपने-अपने पक्ष के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिए।गुहार लगाएँ। चूंकि मध्यस्थ ने ठेकेदार को अपने साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए मैं निचली अदालत से सहमत हूं कि मध्यस्थ ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया और न्यायिक कदाचार किया।

(पैरा 2)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अरविंद बंसल के साथ विनय मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता।

उत्तरदाता की ओर से सुश्री बलित मान, डी. ए. जी., पंजाब।

निर्णय

एन. के. सोधी, न्यायधीश, के समक्ष

(1) 23 मार्च, 1974 को कृष्ण लाल याचिकाकर्ता ने 900 टन की आपूर्ति के लिए सैन्य खेतों के उप निदेशक के माध्यम से भारत संघ के साथ एक समझौता किया। सैन्य अधिकारियों को सफेद भुसा छोड़ दें समझौते में एक मध्यस्थता खंड था।ठेकेदार ने निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक मात्रा की आपूर्ति की।हालांकि, अधिकारियों ने ठेकेदार से 225 टन की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति करने की मांग की, जिसकी वह आपूर्ति करने में विफल रहा और तर्क दिया कि वह समझौते की शर्तों के तहत इसकी आपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं था।यह आरोप लगाया जाता है कि भारत संघ ने ठेकेदार के जोखिम और जिम्मेदारी पर खुले बाजार से वास्तविक मात्रा की खरीद की, जिसके लिए उन्हें कुछ नुकसान उठाना पड़ा।रुपये की वसूली के लिए ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया था। 18625.50 p. कथित रूप से भारत संघ को हुए नुकसान के कारण।दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न हुए विवादों को कर्नल जी. एस. हुंडल के एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।यह विवाद में नहीं

है कि मध्यस्थ ने पक्षकारों को 12 फरवरी, 1976 को उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए।इस तारीख को पक्षकार लगभग 10.30 ए. एम. पर उनके सामने पेश हुए और ठेकेदार अपने वकील के साथ पेश हुआ।मध्यस्थ ने उसी दिन दोपहर में एक राउंड 12.00 में अपने पुरस्कार की घोषणा की और रुपये की राशि से सम्मानित किया। 18625.50 p. भारत संघ के पक्ष में जो मध्यस्थ के समक्ष दावेदार था।यह भी आदेश दिया गया कि एक लाख रुपये की सुरक्षा दी जाए। ठेकेदार द्वारा जमा की गई 7,900 रुपये की राशि को अधिनिर्णीत राशि के भुगतान के लिए जब्त किया जा सकता है और शेष राशि रु। 10, 725.50 p. उससे प्राप्त किया जाए।न्यायालय का नियम बनाए जाने के लिए 26 फरवरी, 1976 को न्यायालय में पुरस्कार दायर किया गया था।पक्षकारों को पुरस्कार दाखिल करने की सूचना दी गई और ठेकेदार ने विभिन्न आधारों पर पुरस्कार की वैधता को चुनौती देते हुए अपनी आपत्तियां दायर कीं।यह दलील दी गई थी कि उन्हें (ठेकेदार) अपने मामले के समर्थन में अपने साक्ष्य का नेतृत्व करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था और समझौते के तहत वह सैन्य अधिकारियों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त मात्रा में भूसे की आपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं थे। यह आगे तर्क दिया गया कि रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि भुसे की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति न होने से भारत संघ को क्या नुकसान या क्षति हुई और मध्यस्थ ने मामले की जांच किए बिना भारत संघ के दावे का फैसला किया।ठेकेदार की दलीलों का भारत संघ द्वारा विरोध किया गया था और निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थेः—

> "(1) वेटलफ्टर पुरस्कार पैरा संख्या 2 क, ख,ग,घ के आधार पर अवैध, शून्य और निष्क्रिय है और ई आपत्ति याचिका में? ओनस ऑब्जेक्टर।
>
> (2) राहत क्या।"

(2) विचारण न्यायालय वीआईडब्ल्यू का था कि ठेकेदार को मध्यस्थ के समक्ष अपनी गवाही देने का कोई अवसर नहीं दिया गया था और बाद वाले ने खुद को गलत तरीके से पेश किया था जिससे पुरस्कार को रद्द कर दिया गया था।नतीजतन, ठेकेदार द्वारा दायर आपत्ति याचिका को स्वीकार कर लिया गया और विवादित पुरस्कार को अलग कर दिया गया।अपील पर, विद्वान जिला न्यायाधीश ने निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को उलट दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनुबंध की सामान्य शर्तों के अनुसार ठेकेदार 225 टन भुसे की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी था और ऐसा नहीं करने के बाद प्रभारी अधिकारी, सैन्य फार्म, फिरोजपुर ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर अन्य स्रोतों से इसे खरीदने का हकदार था।निचली अपीलीय अदालत ने यह भी पाया कि केवल इसलिए कि मध्यस्थ ने उसी दिन निर्णय सुनाया जिस दिन ठेकेदार को तलब किया गया था, यह मानने का कोई आधार नहीं था कि ठेकेदार को अपनी गवाही देने के अवसर से वंचित कर दिया गया था।विद्वान जिला न्यायाधीश के अनुसार, ठेकेदार को मध्यस्थ के समक्ष एक आवेदन दायर करना चाहिए था जिससे उसका इरादा पता चले कि वह साक्ष्य का नेतृत्व करना चाहता है और ऐसा नहीं करने पर यह नहीं माना जा सकता कि ठेकेदार को किसी भी अवसर से वंचित कर दिया गया था।अपील को 3 दिसंबर, 1980 के आदेश के अनुसार अनुमति दी गई थी और विवादित फैसले को अदालत का नियम बना दिया गया था।इस आदेश के खिलाफ वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।

(3) मैंने पक्षकारों के लिए 3 वकीलों को सुना है कि पुनरीक्षण याचिका सफल होने के योग्य है।सेना मुख्यालय के 23 दिसंबर, 1975 के पत्र के अनुसार दोनों पक्षों के बीच विवादों को मध्यस्थ को भेजा गया था।कर्नल हुंडल, जो एकमात्र मध्यस्थ थे, ने पक्षों को 12 फरवरी, 1976 को उनके सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किए।यह इस बात का प्रमाण है कि पक्षकार उस दिन सुबह 10 से 10.30 के बीच उपस्थित हुए और मध्यस्थ द्वारा पुरस्कार की घोषणा लगभग 12.00 दोपहर में की गई थी।यह सच है कि अपने वकील के साथ पेश हुए ठेकेदार ने अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य

देने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन दायर नहीं किया था, लेकिन मेरे विचार से, वह उसे साक्ष्य देने के लिए अयोग्य नहीं ठहराएगा जो अन्यथा उसका अधिकार था।मध्यस्थ के निर्णय में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि ठेकेदार कोई सबूत पेश नहीं करना चाहता था।यह भारत संघ का मामला नहीं है कि ठेकेदार ने प्रतिवादी द्वारा किए गए दावे को स्वीकार किया हो।ऐसा होने पर, ठेकेदार को अपना जवाब दाखिल करने और अपने दावे के समर्थन में सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए था।एक मध्यस्थ जो अर्ध-न्यायिक कार्य करता है, माना जाता है कि जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके सामने पूछताछ का प्रहसन।उसे पक्षकारों को अपना दावा/जवाब, यदि कोई हो, दायर करने का पूरा अवसर देना चाहिए और उन्हें अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में सबूत पेश करने की अनुमति देनी चाहिए।चूंकि मध्यस्थ ने ठेकेदार को अपने साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए मैं निचली अदालत से सहमत हूं कि मध्यस्थ ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया और न्यायिक कदाचार किया।मामले के इस दृष्टिकोण में, विवादित आदेश के साथ-साथ 12 फरवरी, 1976 के अधिनिर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(4) परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है और 3 दिसंबर, 1980 के विवादित आदेश को जिला न्यायाधीश, फिरोजपुर द्वारा पारित कर दिया जाता है, जिसमें पुरस्कार को अदालत का एक नियम बना दिया जाता है जिसे रद्द कर दिया जाता है।नतीजतन, 12 फरवरी, 1976 का पुरस्कार भी अलग रखा गया है।हालाँकि, यह भारत संघ के लिए एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए खुला रहेगा और यदि ऐसा नियुक्त किया जाता है तो वह कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।

जे०एस०टी०

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

डा० सुशीला
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रोहतक,हरियाणा